न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी **उम्मेदी लाल मीना** आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 12/2018

अनवानः–

अनिल कुमार पुत्र महेन्द्र जाति खाती आयु 35 वर्ष साकिन सुरावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

निगरानीकर्ता

बनाम

ग्राम पंचायत सुरावाली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सुरावाली पचायत समिति पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थीगण

निगरानी विरूद्ध प्रस्ताव दिनाक 25.06.18 ग्राम पंचायत सुरावाली द्वारा प्रार्थी के भूखण्ड को तोडने बाबत पारित प्रस्ताव को निरस्त करने हेतु निगरानी प्रार्थना पत्र।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज०)

उपस्थितः–

1 श्री विनोद पारीक अभिभाषक निगरानीकर्ता।

2 श्री सोहनलाल सारण अप्रार्थी सं0 01

3. श्री वरिन्द्र गुप्ता अप्रार्थी सं0 02

–:निर्णयः–

दिनांकः–26.11.2024

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निगरानी प्रार्थी ग्राम सुरावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ का स्थाई निवासी है जिसने अपने रहने के लिये अपना एक आवासीय मकान ग्राम सुरावाली मे ही बना रखा है। उक्त भूखण्ड जिसकी साईज 75 गुणा 100 है जिसकी चतुसीमा मे उतर मे गली आम व दक्षिण मे आवासीय मकान लालचन्द पुत्र हीरालाल व पूर्व मे उग्रसेन का मकान है तथा पश्चिम मे गली आम है। प्रार्थी ने उक्त मे भूखण्ड जिसमे प्रार्थी का मकान है उसमे तीन बडे पक्के कमरे व रसाई व स्नानाघर व पशुओं के मकान बने है। उक्त आवासीय मकान मे प्रार्थी ने बिजली व पानी का कनेक्शन भी ले रखा है जिनके बिलो का भुगतान प्रार्थी समय–समय पर करता है। उक्त भूखण्ड का पटटा तात्कालिक ग्राम पंचायत सुरावाली पंचायत समिति सुरतगढ द्वारा दिनाक 16.04.1974 ई0 को प्रार्थी के दादा हीरालाल पुत्र पतराम के नाम से सकल्प स0 1 पर दर्ज कर सरपंच घेरूराम द्वारा जारी शुदा है जो पचायत अधिनियम से शासित है। उक्त भुखण्ड का पटटा जारी होने के बाद उक्त भूखण्ड पर सर्वप्रथम प्रार्थी के दादा का कब्जा तथा उसके बाद प्रार्थी के पिता महेन्द्र का कब्जा तथा वर्तमान मे प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है तथा दिनाक 16.04.1974 ई0 से लेकर प्रार्थी व उसके पूर्वज पीढी दर पीढी उक्त भूखण्ड मे मकानो मे निवास करते आ रहे है। अप्रार्थी द्वारा दिनाक 21.06.18 को पंचायत मे एक प्रस्ताव स० पास करके प्रार्थी का मकान गली मे होने [illegible] है तथा प्रार्थी को दिनाक 01.07.2018 को एक नोटिस दिया है जिसमे प्रार्थी के मकान को [illegible] ये कहा गया है। प्रार्थी का मकान जिस समय पटटा जारी किया गया था तब से लेकर [illegible] दिनाक कोई गली प्रार्थी के मकान मे नही रही है। अप्रार्थी बिना किसी आधार के [illegible] का मकान तोडने के लिये प्रयासरत है जो विधि के सिद्धान्तो के विपरीत है। अप्रार्थी द्वारा पारित प्रस्ताव स० दिनाक [illegible] 6.18 विधि विरूद्ध तरीके से पारीत किया गया है जो नि[illegible] आधारो के साथ खारिज [illegible] योग्य है :–

अप्रार्थी द्वारा पारित प्रस्ताव स० 02 दिनाक 21.06.2018 विधि विरूद्ध तरीके से पारित किया गया है जो मौके की स्थिति का अवलोकन न कर अपने पद का दुरूपयोग करते हुये पारित किया गया है, इस कारण उक्त प्रस्ताव खारिज करने योग्य है। उक्त भूखण्ड का

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.12.03 12:19:33 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पटटा जारी होने के बाद उक्त भूखण्ड पर सर्वप्रथम प्रार्थी के दादा का कब्जा तथा उसके बाद प्रार्थी के पिता महेन्द्र का कब्जा तथा वर्तमान मे प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है तथा दिनाक 16.04.1974 ई0 से लेकर प्रार्थी व उसके पूर्वज पीढी दर पीढी उक्त भूखण्ड मे मकानो मे निवास करते आ रहे है इसलिये सरपच ग्राम पंचायत सुरावाली को उक्त मकान तोडने का कोई अधिकार नही है।

सरपंच ग्राम पंचायत सुरावाली के द्वारा पंचायत अधिनियम 1996 के नियमो की पालना नही की गई है तथा उक्त प्रस्ताव विधि विरूद्ध तरीके से पारित कर उपरोक्त कार्यवाही की जा रही है इसलिये यह प्रस्ताव खारिज करने योग्य है। उक्त भूखण्ड का पटटा तात्कालिक ग्राम पंचायत सुरावाली पचायत समिति सुरतगढ द्वारा दिनाक 16.04.1974 ई0 को प्रार्थी के दादा हीरालाल पुत्र पतराम के नाम से संकल्प स० 1 पर दर्ज कर सरपंच घेरूराम द्वारा जारी शुदा है जो पंचायत अधिनियम से शासित है इस एक पटटे शुदा मकान को तोडने का पंचायत द्वारा नोटिस दिया जाना विधि विरूद्व है इस कारण भी उक्त प्रस्ताव खारिज करने योग्य है। प्रार्थी को उक्त प्रस्ताव का ज्ञान दिनाक 01.7.2018 ई0 को दिये गये नोटिस से हुआ इसलिये दिनाक 01.7.2018 ई० से उपरोक्त निगरानी अन्दर मियाद है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत सुरावाली के द्वारा पारित प्रस्ताव को निरस्त किया जाये।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीयान की तलबी की गई। अप्रार्थी सं0 01, 02 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया, जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक निगरानीकर्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि निगरानी प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत सुरावाली के द्वारा पारित प्रस्ताव को निरस्त करने की कृपा की जावे

अभिभाषक अप्रार्थी सं0 01 द्वारा अपनी बहस में कथन किये कि प्रार्थी के विरूद्ध सार्वजनिक उपयोग की भूमि गली में कब्जा करने के संबंध में कार्यवाही चली थी। प्रार्थी के नाम से पंचायत द्वारा गलीआम में कोई पट्टा जारी नहीं करने के कारण उसके नाम की पट्टा बही नहीं है। पट्टा बही का विवरण प्रस्तुत नहीं करने के कारण निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल खारिजी के है।

अभिभाषक अप्रार्थी सं0 02 द्वारा अपनी बहस में कथन किये कि प्रार्थी / निगरानीकर्ता द्वारा अभिकथित भूखण्ड साईज 75 गुणा 100 फुट का पट्टा प्रार्थी / निगरानीकर्ता के दादा के नाम से जारी किये होने के कथन किये गये हैं तथा यह भी कथन किये गये हैं कि जिस समय पट्टा जारी किया गया तब से लेकर आज तक कोई गली प्रार्थी के मकान में नही रही है जबकि वास्तव में अभिकथित भूखण्ड के उतर की ओर 20 फुट गली आम है जो अर्सा दराज से चली आ रही है तथा इस गली के बाद गली के उतरी तरफ एक भूखण्ड संख्या 13 साईज 70 गुणा 75 फुट का है जिसका प्रार्थी / निगरानीकर्ता ने दिनांक 8.11.2021 को अपनी पत्नि मंजू व उसकी भाभी अनीता के नाम [illegible] है। प्रश्नगत् गली अभिकथित भूखण्ड साईज 75 गुणा 100 व निगरानीकर्ता की [illegible] व भाभी के नाम से बने पट्टा के भूखण्ड साईज 70 गुणा 75 फुट के मध्य स्थित है [illegible] / निगरानीकर्ता अपने दोनो भूखण्डों के मध्य होने के फायदा उठाकर गली को [illegible] से बन्द कर गली की भूमि को अपने भूखण्डों में मिलाना चाहता था चूंकि प्रार्थी का भू[illegible] प्रश्नगत् गली उतर की ओर भूखण्ड संख्या 25 स्थित है व इस भूखण्ड में प्रार्थी सपरिवार निवास करता है एवं प्रार्थी / निगरानीकर्ता द्वारा गली बन्द किये जाने की अनूचित कार्यवाही की शिकायत सर्वप्रथम प्रार्थी ने ही उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा के समक्ष दिनांक 19.07.2017 को की। प्रश्नगत् गली सार्वजनिक है व इस गली में प्रार्थी का भी मकान स्थित है व निर्मितशुद्वा है तथा प्रार्थी की इस मकान में सपरिवार रिहायश है व गली बन्द हो जाने से प्रार्थी व प्रार्थी का परिवार

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.12.03 12:19:33 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलेक्टर
हनुमानगढ़

आने–जाने के लिए प्रभावित व पीडित है व प्रार्थी द्वारा उक्त गली को खोलने हेतू समय समय पर विभिन्न अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही की है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया और उद्घृत न्यायिक नजरों पर मनन किया गया।

1. अभिभाषक निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी के पैरा सं0 02 में स्वीकार किया है कि उक्त भूखण्ड जिसका साईज 75 गुणा 100 है, जिसकी चतुर्सीमा में उत्तर में गली आम व दक्षिण में आवासीय मकान लालचन्द व पूर्व में उग्रसेन का मकान है तथा पश्चिम में गली है। विकास अधिकारी पंचायत समिति के क्रमांक 858 पत्रांक 07.03.2018 के साथ संलग्न पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा की गयी मौका जांच रिपोर्ट के स्पष्ट माना है कि ग्राम सूरांवाली में प्लाट नं0 10 से 13 जो एक लाईन में है। इन प्लाटो के दक्षिण में प्लाट नं0 24 से 27 की लाईन है तथा दोनों लाइनों के मध्य 20 फुट की गली दर्शायी है जो मौके पर बंद है, निगरानीकर्ता द्वारा दीवारें निकाल कर अतिक्रमण कर रखे हैं। उक्त प्लाटों के मध्य गली पर अतिक्रमण पाया गया है।
2. निगरानीकर्ता द्वारा पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया है, जिससे निगरानीकर्ता का विवादित भूखण्ड पर कोई हक हो और ना ही ऐसा कोई साक्ष्य दौराने बहस प्रस्तुत किया है। निगरानीकर्ता केवल कब्जे के आधार पर पर अपना हक चाहता है। कब्जे के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा DNJ 2022 PAGE 302 Padhiyar Prahlad Ji Chomali (Deceased) Thro'LR vs Maniben Nagmalbhai (Deceased) Thro'LR' & others में मत प्रतिपादित किया है कि "उक्त स्थिति में भी अतिक्रमी को अनुतोष नहीं दिया जा सकता" अतः उपर्युक्त विवेचन की रोशनी में प्रकरण निगरानीकार के पक्ष में नहीं माना जा सकता है।

अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न होने से खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.12.03 12:19:33 IST
Reason: SelfAttested